

We are thinking of looking into the points made by Shri Ramavatar Shastri that there should be some literature on freedom fighters.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Bill be passed."

*The Motion was adopted.*

15-40 hrs.

### HINDU WIDOWS' RE-MARRIAGE (REPEAL) BILL

MR. CHAIRMAN : We now take up the next item namely, the Hindu Widows' Re-marriage (Repeal) Bill.

Now the Minister.

THE DEPUTY MINISTER IN THE  
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND  
COMPANY AFFAIRS (SHRI GHULAM  
NABI AZAD) : I beg to move :

"That the Bill to repeal the Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

MR. Chairman, Sir, the object of this Bill is to repeal the Hindu widows Re-marriage Act, 1856 as passed by the Rajya Sabha on 1st August, 1983. As the hon. Members are aware, the Hindu Widows Re-marriage Act was enacted in 1856, thanks to the pioneering efforts of a great social reformer, namely Eshwarchundra Sharum who later came to be known as Ishwarchandra Vidya-sagar. This enactment sought to remove all obstacles to the marriage of Hindu widows. It allowed Hindu widows to remarry. It also made certain provisions regarding maintenance, interstate succession and testamentary succession, guardianship and other rights including adoption.

The Act, however, contained provisions purporting to impose on widows certain disabilities, such as, in relation to the right of inheritance of a childless widow. This can hardly be allowed to continue in

the present structure of our society. Accordingly, the Law Commission studied this piece of legislation in depth and had submitted to the Government its Eighty First Report in December, 1979, recommending the repeal of this anachronistic piece of legislation.

The Law Commission has referred to the other enactments, such as, the Hindu Marriage Act, 1955, the Hindu Succession Act, 1956, the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 and the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, which not only cover the same field as the Hindu Widows Re-marriage Act, 1856 but also made fundamental and radical changes in the personal Law of Hindus, relating to marriage, succession and guardianship, adoption and maintenance. These four Acts supersede any other Law inconsistent with the provisions of those Acts.

The present Bill seeks to implement the recommendation made by the Law Commission for the repeal of the Hindu widows Re-marriage Act, 1856. I commend this measure to the House.

SHRI AMAL DATTA (Diamond Harbour) : Mr. Chairman, this is a one line Bill to repeal an Act of 1856. On the face of it, it is very innocuous. I am not saying that there is any oblique purpose in the Bill itself. But what is the object of bringing forward the Bill now allotting one hour time when the time of Parliament is so precious that is setting out in the objects and reasons appended to the Bill ? It says that "the Law Commission has recommended that the Hindu Widow Re-marriage Act, 1856, having become obsolete, should be repealed so as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts." It is to guard against any contingent argument which may sometimes be taken by any lawyer in the court of law. That is why this Bill is being passed by Parliament. Now, this is really, in my very humble opinion, waste of time, because there has not been in the last not 30 years but at least 27 years—since the passage of the several Bills ; four Bills which have been mentioned here—any argument based on this particular Bill which is now sought to be repealed. But that is not all. In

1856, this particular Bill was passed. What has been the effect of that ? The Bill which we are now trying to repeal, let us not forget the name of the gentleman who was responsible for the passage of this Bill, which is being—for the sake of record—mis-spelt. His name was Ishwar Chander Sharma ; and this is the kind of English distortion of Indian names which we are all slavishly still following even in Parliament. So, I will request the hon. Law Minister, who is here.

Because it is the name of a great man of Bengal renaissance and who has shown the path of enlightenment to the whole of India. We should all know his name and also know how to pronounce and spell it correctly. That should be done, and it really makes me angry, because people seem to have forgotten these people, the people of renaissance, and in another 20 years we would have forgotten even our freedom fighters like Pandit Jawaharlal Nehru and others, if we have not already forgotten them.

PROF. N.G. RANGA : No. No.

SHRI AMAL DATTA : No ? Perhaps you are the only person to say so. This Hindu Re-marriage Act is before us. What has been the effect of this Act ? How many Hindu widows have been re-married because of the enabling provisions which brought about this Act in 1956 ? Very very few. Not even one per cent. Not even .1 per cent of the Hindu widows got remarried. Because, this Bill came at a time when women were regarded as chattels to be bought and sold. That was the feudal concept of women. That is why this Bill had no practical effect. In very very high societies one or two marriages took place and nothing else happened to the rest of the society. Now from this we can take an abject lesson. The lesson is that the law can be used as an instrument of social change only when the society itself uses its political will to change that society. Otherwise, only enacting a law is of no avail. I want this House to take this abject lesson, because the Government has a part to play in this social transformation apart from enacting such Bills.

In 1956 we had passed four radical bills. I am not denying that those bills were radical. They were radical. But there has been no effect of those Bills on the society.

They were the Hindu Succession Act, the Hindu Marriage Act, the Hindu Women's Protection and Guardianship Act, Hindu Adoption and Maintenance Act, which were all passed in 1956, together called the Hindu Code Bill. Has the Hindu society got any transformation because of these Bills ? Is it not true that the scourge of dowry is still there ? This House every day is discussing this and other repressions on women, the burning of young brides. These form the subject matter for our discussion every day here, in spite of the fact that so many radical changes have taken place immediately after Independence in 1956. Twentyseven years have gone by. The whole generation is gone and yet there is no change. So, what has the Government done ? The Government has thought that it has done its duty by passing a Bill in Parliament and nothing else needs to be done. I am saying that we must guard against that sort of complacent attitude. The Government has a duty to do it. Of course, I would admit that the Government can do very little in a society like this where we still have the remnants of feudalism. We are entering into an era of capitalism where exploitative society must take advantage of the weaker sections of the people. And women being a weaker section, must be taken advantage of by the dominant males in a society like ours ! That is why we still have to discuss in this House the subjects like dowry, and how the rape law can be made stricter and all that was started in 1980. We had to appoint a joint select committee to go into it. But we have not yet been able to take up and pass that Bill regarding rape law being made stricter. We have not been able to do it. So, we are a very great nation for mouthing lofty ideals. We say big things, but we cannot do big things. After saying the big things, we think that everything has been done ; saying is doing things, so, nothing else is required. That is why I tell the Government that something more is required to be done. Maybe this Government will not and cannot change the economic structure of society ; but still it can do something. Even that little thing which it can do today to rouse the social conscience in the people, it is not doing. It has abrogated that function.

So, while we support the spirit of this

Bill, because the Act has become obsolete—the Law Commission has said so, no doubt, about it, and I agree with the Law Commission—there are so many other things which have been said by the Law Commission, which have not been implemented. This is the 81st Report of the Law Commission. What have you done with the earlier 80 reports? Have you brought before the House enactments as per those reports? No; most of them are gathering dust. So, why bring this innocuous Bill? I am not objecting to the Government bringing forward this particular Bill at this time. My only question is why they do not go into more important issues, instead of wasting the time of the House in enacting a Bill for the purpose of removing a contingent argument which may sometimes be taken up in some courts of law.

MR. CHAIRMAN : What is the correct spelling according to you?

SHRI AMAL DATTA : It should be Ishwar Chandra Sharma. Perhaps they have copied it from the Report of the Law Commission.

श्रीमती कृष्णा साहू (बेगूसराय) : सभापति महोदय, आज से 27 वर्ष पहले विधवा पुनर्विवाह कानून बनाना पड़ा और आज फिर 1983 में जब हम यहाँ इस सदन में बैठे हैं, तो फिर इस विषय पर चर्चा हो रही है। इस का यह तात्पर्य है और यह इस बात को साबित करता है कि 127 वर्ष पहले और उसके पहले भी जो महिलाओं की स्थिति समाज में थी, उस स्थिति में बहुत सुधार तो आया है लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए था जिस हद तक, वह संभव नहीं हो सका है।

स्वतन्त्रता संग्राम के समय हमारे देश की महिलाओं ने काफी काम किया और विश्व में इसकी मिसाल नहीं मिलती है। फिर हमारे यहाँ जो स्थिति रही है, वह एक विरोधाभास की स्थिति रही है। आज उसे शक्ति के रूप में समझा गया, तो उसे अबला के रूप में भी माना गया है और मध्यकालीन युग में और उसी समय से महिलाओं को द्वितीय दर्जे का नागरिक समझा

गया और उस के बाद जो विधवाओं की स्थिति रही, वह हमारे समाज के दृष्टिकोण का ही परिणाम था। स्वतन्त्रता से पहले और बाद में भी समाज में जो कुरीतियों हैं, उन को दूर करने के लिए और महिलाओं के स्तर को ऊपर उठाने के लिए अनेक कानून बनाए गये और महिलाओं की जो स्थिति थी उस के स्तर में सुधार के साथ-साथ उसमें जागृति किस प्रकार आए, ऐसे कानून बनाए गये। कैसे वे अपने अधिकार को समझें कैसे उनमें जागृति आए और कैसे वे कानून को समझें, इस के लिए भी समय-समय पर सरकार द्वारा प्रयत्न किये गये हैं।

अभी यह कहा जा रहा था कि ऐसे विधेयक को लाना कोई माइने नहीं रखता है लेकिन अगर कोई कानून बनता है, तो वह एक क्रान्ति का माध्यम होता है और उस कानून के माध्यम से लोगों में जागृत पैदा की जाती है।

यह सही है कि विधवाओं के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता के पहले कई कानून बनाये गये जिनमें बंगाल स्त्री विनियम 1829 कानून भी है जिसमें विधवाओं के मती होने या आत्मदाह करने को अवैध घोषित किया गया है। इसके पश्चात् 1856 में एक कानून बनाया गया जिसमें हिन्दु विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध ठहराया गया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भी हिन्दु विवाहों से सम्बन्धित और महिलाओं के विवाह विच्छेद से सम्बन्धित कानून बने। उन कानूनों के बनने के बाद आज जो विधेयक मंत्री महोदय ने यहाँ रखा है वह बहुत ही समयानुकूल है।

दूसरी बात यह है कि जो विधवाएं हमारे देश में या हमारे समाज में हैं उनके विधवा होने का कारण बाल-विवाह भी है। इसके साथ-साथ इस युग में भी राजस्थान में सब से अधिक छोटी-छोटी लड़कियों की शादी की जाती है। पिछले साल सुनने में आया था कि वहाँ एक ऐसा पर्व होता है जिस दिन दस हजार छोटी-छोटी लड़कियों की शादी की जाती है। दूसरे प्रांतों में भी ऐसा होता होगा लेकिन राजस्थान में यह संख्या बहुत अधिक



है। मेरे विचार से कानून के द्वारा बाल विवाह पर रोक लगाई जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में कानून है लेकिन जो कानून बनते हैं उनका पूरी तरह से पालन नहीं होता है। मैं यह मानती हूँ कि इस सम्बन्ध में जागृति से बहुत कार्य हो सकता है। लेकिन बाल-विवाह के सम्बन्ध में जो कानून है उसमें और भी कड़ाई करने की जरूरत है। ऐसा भी देखने में आता है कि जन्म से पहले ही बच्चों की शादी कर दी जाती है यह एक गंभीर विषय है।

जब हम यहां बैठे हैं और आज इसी पर विचार कर रहे हैं तो हमें सोचना चाहिए कि किस तरह से समाज में ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध काम किया जाए, कैसे उनको रोका जाए। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहती हूँ कि विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में जो आप कानून लाये हैं यह तो आवश्यक है लेकिन सब से बड़ी आवश्यकता आज यह है कि बाल-विवाह के ऊपर प्रतिबंध कड़ाई के साथ होना चाहिए। इसके सम्बन्ध में जो कानून है भी, उसको कारगर बनाने की बहुत जरूरत है।

आप जानते हैं कि धर्म के नाम पर कितनी अधिक महिलाएं देवदासी बना दी जाती हैं और उसके बाद उनको गलत रास्ते पर ले जाया जाता है। जो लड़कियां छोटी-छोटी उम्र में विधवा हो जाती हैं उनको वेश्यावृत्ति के लिए एक्सप्लॉइट किया जाता है। वृन्दावन, वाराणसी में तकरीबन 50 हजार ऐसी महिलाएं होंगी जो कि बाल-विवाह के पश्चात् विधवा हो कर अपना जीवन-यापन कर रही हैं। इनके लिए कौन कानून बन सकता है? इसके लिए जो सामाजिक परिवर्तन की जरूरत है। जब ऐसी विधवा औरतें हमारे घर में होती हैं, हमारे परिवार में होती हैं तो हम उनको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं। वैसे हम कानून की बात बहुत करते हैं। आज के युग में जब साइंस और टेक्नोलोजी प्रवेश कर चुका है तो कितने प्रतिशत पुरुष आपको मिलेंगे जो विधवाओं से शादी करने को तैयार मिलेंगे। मुश्किल से दो-चार पुरुष मिल जायेंगे। लेकिन भाषण देने वाले बहुत मिल जाएंगे। भाषण देना और इस बात की चर्चा करने से ही

यह समस्या नहीं सुलझेगी।

अभी मैं उस पक्ष के एक भाई जो कि अभी बोल रहे थे, की बात सुन रही थी। मैं उन माननीय सदस्य से पूछना चाहती हूँ कि क्या कानून बना देने के बाद जितने भी लोग यहां बैठे हैं, उनके लड़के विधवाओं से विवाह करने को तैयार होंगे? मैं समझती हूँ कि कहने और करने में अन्तर होता है। लेकिन फिर भी कानून बनाने का एक अपना माध्यम है जिसके जरिये से भी समाज में जागृति आती है। हमें समाज में परिवर्तन लाने और कुरीतियों को मिटाने के लिए क्रांति लाने के प्रयास करने चाहिए।

इन शब्दों के साथ हिन्दु विधवा पुनर्विवाह (निरसन) विधेयक का जो कि ला कमीशन की अनुशंसाओं पर यहां प्रतिस्थापित किया गया है उसका मैं समर्थन करती हूँ।

16 hrs.

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : माननीय मंत्री जी ने जो विडोरिमैरेज रिपील बिल रखा है और ला कमिशन की सिफारिशों को असली जामा पहनाने के लिए रखा है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

हिन्दू विडौज रिमैरेज एक्ट की धारा चार को मैं देख रहा था। वह इस प्रकार है :

"Nothing in this Act contained shall be construed to render any widow who, at the time of the death of any person leaving any property, is a childless widow, capable of inheriting the whole or any share of such property, if before the passing of this Act, she would have been incapable of inheriting the same by reason of her being a childless widow."

सही मायनों में नारी के अधिकारों को, बहनों के अधिकार को यह छीनता है। किसी जमाने में एक क्रांतिकारी अधिनियम बना था। समाज की दशा समाज की हालत को देखते हुए ईश्वर चन्द्र विद्या-



सागर द्वारा प्रतिपादित, प्रोत्साहित किया गया था। लेकिन हालात बदले। माननीय मंत्री जी ने राज्य सभा में कहा था कि देश के हालात और देश की स्थिति को देखते हुए कुछ नई चीज हम लाए, हिन्दू ला को कोडिफाई किया और उसको लागू किया। मैं उसकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ।

आज के समाज में नारी के स्थान की बात जब हम करते हैं तो विवाह संस्था उसके साथ आकर जुड़ जाती है। एक ही सिक्के के ये दो पहलू हैं। नारी का नाम आते ही विवाह संस्था की बात हमारे दिमाग में पैदा हो जाती है। आज भी सामाजिक प्रश्न, स्वाभिमान का प्रश्न नारी के लिए कन्या के लिए दो क्षितिजों के समान है। रिमैरेज की बात जब वह करती है तो हमारा समाज उसे कहीं स्वीकार नहीं कर पाता है। बचपन से ही उसकी ऐसी ही हालत होती है। हमारे समाज में लड़के को तो सुपुत्र कहा जाता है कुलदीप उसको समझा जाता है, कुल का दीप लड़के को कहा जाता है लेकिन लड़की को कुल लक्ष्मी नहीं समझा जाता है। वैसे वह विवाह होने के बाद गृह लक्ष्मी बन जाती है लेकिन कुछ ही दिनों के बाद अगर वह विडो हो जाती है तो गृह लक्ष्मी का अधिकार भी उससे छीन लिया जाता है और वह दर-दर की ठोकरें खाती है। ऐसी स्थिति में जब आप क्रान्तिकारी अधिनियम बनाते हैं तो कोई प्राविजन कहीं बाधा पहुंचाता है और उसको आप निरस्त करते हैं तो अच्छी बात है।

लेकिन एक बात मन में खटकती है। आपने हिन्दू कोडिफाइड ला बनाए। आपने अधिनियम बनाया। क्या वे आज की अवस्था पर आधारित हैं? अभी हाल में आंध्र प्रदेश में हिन्दू मैरेज एक्ट के अन्तर्गत वहां की हाई कोर्ट ने एक रूलिंग दिया है, एक निर्णय दिया है जिस में सैक्शन 9 के बारे में कह दिया है कि यह संविधान के फंडेमेंटल अधिकारों को चुनौती देता है, इसे लागू नहीं किया जा सकता है। जब आप कहते हैं कि विडो रिमैरेज एक्ट को समाप्त करने के सभी अधिकार हमारे पास हैं, नारी के अधिकारों को हम सुरक्षित बनाए

तो वैसी अवस्था में एक करारी चोट जो पहुंची है उस तरफ भी आप देखें। लक्ष्य कहां है? विवाह संस्था पर है और विवाह संस्था की बात जब आती है तो कई प्रश्न उठ कर खड़े हो जाते हैं, दहेज की बात आ जाती है, बाल विवाह की बात आ जाती है समाज में नारी की प्रतिष्ठा की बात आ जाती है। ये सारे प्रश्न जुड़े हुए हैं। मैं आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट के निर्णय के बारे में कह रहा हूँ। हिन्दू मैरेज एक्ट के सैक्शन 9 को चुनौती दी गई है। यह कहा गया कि कांस्टीट्यूशन में जो अधिकार दिया गया है उसको यह तोड़ता है। परसनल ला लागू करने की जब बात आती है तो हिन्दू मैरेज एक्ट हो, हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1963 हो, हिन्दू माइनर एंड गार्डियनशिप एक्ट हो, हिन्दू एडोप्शन एंड मैटर्नेस एक्ट हो क्या ये सारे कानून पूर्ण रूप से धर्म पर आधारित हैं, उन नियमों पर आधारित हैं जो आज के वैज्ञानिक युग में बने हैं, क्या ये वैज्ञानिक आधारशिला पर आधारित हैं? प्रश्न कई इसके साथ जुड़ जाएंगे अगर हम इस पर विचार करेंगे। ये सारे परसनल ला जो बने हुए हैं, मुस्लिम परसनल ला हो या हिन्दू परसनल ला हो या अन्य लोगों की बात हो, यदि इसका आधार यह है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो चार कोडिफाइड एक्ट हिन्दुओं के हैं कहीं यह कांस्टीट्यूशन से तो नहीं टकराते हैं। जब धर्म का परिवर्तन कर देते हैं तो फ्रीडा आफ रिलीजन की बात भी आ जाती है। ऐसे बुनियादी प्रश्नों को देखना चाहिये। आर्टिकल 44 को देखें उसमें क्या कहा गया है :

सारे लोगों के लिये एक विधि का नियम होना चाहिये। और लोग जानते हैं जब हम सेक्यूलरिज्म की बात करते हैं तो विधि की निगाह में कोई विशेष धर्म के लोग विशेष उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह विधि का नियम है। मेरा कहना है कि रिलीजन वेस्टर्न परसनल ला को तबदील किया जाय और देश में एक यूनीफाइड कोड होना चाहिये जो सब पर लागू हो, जिसमें नारियों को भी वही अधिकार प्राप्त हों जो पुरुषों को हैं। आपने यह रिपील तो कर दिया है लेकिन वास्तविक स्थिति की तरफ भी जाने की कोशिश

कौजियेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ।

**श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) :** मान्यवर, मैं विधि मंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने हिन्दू विधवाओं के पुनर्विवाह से संबंधित यह विधेयक पेश किया है। यह ऐसा विधेयक है जिस पर किसी को आपत्ति नहीं होगी भले ही वह किसी भी जाति या वर्ग का क्यों न हो क्योंकि इसके द्वारा एक ऐसी कुरीति, कुप्रथा को समाप्त करने में मदद मिलेगी जो इस देश के माथे पर एक समय से कलंक रही है।.....

**श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) :** मान्यवर इनको समझा दीजिये कि यह निरसन विधेयक है।

**श्री चन्द्रपाल शैलानी :** मेरा कहने का मतलब यह है कि यह एक कुप्रथा है। हिन्दू समाज में और जैसे बुराइयाँ हैं यह भी एक बुराई है। हमारे देश में अनेक ऋषि, मुनियों ने जन्म लिया है जिन्होंने इन कुप्रथाओं के खिलाफ आवाज उठायी है और उसका विरोध किया है। इस बिल के सम्बन्ध में जब चर्चा आती है तो ईश्वर चन्द्र विद्यासागर का नाम आता है, किस तरह से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का विरोध किया था। और आज के जमाने में, जैसा श्रीमती कृष्णा साही ने कहा यह जो कलंक है हिन्दू समाज में विधवाओं का यह समाप्त होना चाहिये। इस बिल के द्वारा जो भी प्रावधान सरकार करने जा रही है उस बारे में कुछ बातें कहनी हैं।

हमारे बहुत से साथियों ने विचार प्रकट किये हैं और मैं समझता हूँ कि इस बिल के माध्यम से जो काम होंगे वह समाज के हित में होंगे। इस विधेयक से इन बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी।

अभी मैं एक मैगजिन पढ़ रहा था, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया था कि हिन्दुस्तान में उच्च वर्ग अथवा उच्च वर्ण के जो लोग हैं, जो ऊँची जाति के लोग कहलाते हैं, उनमें विशेष रूप

से यह प्रथा पाई जाती है और प्राचीन इतिहास से लेकर वर्तमान इतिहास को देखने से पता चलता है कि छोटे वर्गों, तथा-कथित छोटी जातियाँ, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्ज के लोगों में यह प्रथा न के बराबर है। इस कुप्रथा से बहुत-सी महिलाओं का पूरा जीवन ही बर्बाद हो गया और उन्हें बहुत बुरे दिन देखने पड़े।

मैं यह कहना आवश्यक समझता हूँ कि जिस लड़की की कम उम्र में शादी हो जाए और उसका पति मर जाए, तो कई बार वह गलत रास्ते पर चलने पर मजबूर हो जाती है। कभी समाज उसे ऐसा करने पर विवश करता है और कभी परिवार की परिस्थितियों से वह गलत रास्ते पर चली जाती है। अगर हम गंभीरता से विचार करें, तो हम देखेंगे कि इन कुप्रथाओं को दूर करने में यह बिल बहुत सहायक होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

**श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) :** माननीय सदस्य की स्पीच से ऐसा लगता है कि 1856 में जब यह कानून पास हुआ होगा, तब वह समर्थन कर रहे होंगे।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) :** सभापति महोदय, हिन्दू विधवा पुनर्विवाह (निरसन) विधेयक, 1983 वस्तुतः उचित ही है। लेकिन विधि आयोग ने केवल हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के निरसन की ही सिफारिश नहीं की है, उसने लगभग 56 बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशों की हैं। हिन्दुस्तान में ऐसे बहुत से अप्रयुक्त, अनुपयुक्त और असमीचीन कानून चले आ रहे हैं, जिनका निरसन किया जाना चाहिए था। लेकिन मंत्री महोदय ने न जाने किस आकर्षण से इसी बिल को सबसे पहले लिया है।

**सभापति महोदय :** ऐसे बहुत से कानून रिपील किए जा चुके हैं।

**श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** ला कमीशन की

रिपोर्ट कोई कांस्टीट्यूशन या शास्त्र तो नहीं है। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार हमें अपने कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए।

आज केवल "हिन्दू" कहने से साम्प्रदायिक समझा जाता है। जिस देश में हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई कहने से साम्प्रदायिकता की भावना पैदा होती है, वहां ऐसा कानून बनना चाहिए, जो भारत के सब वर्गों पर समान रूप से लागू हो।

केवल हिन्दू विधवा के साथ ही लागू नहीं होना चाहिए बल्कि जो भी इस देश के नागरिक हैं, मुस्लिम, ईसाई, उन सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। हिन्दू समाज में ये यूँ तो बाल विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा इत्यादि बहुत सी ऐसी कुरीतियाँ हैं जिनको शास्त्र नहीं मानता है लेकिन कुछ पोंगापंथियों और रूढ़िवादियों ने इन कुप्रथाओं को चला रखा था। 1856 के बाद श्री ईश्वरचन्द विद्यासागर उस समय के सबसे अधिक सांस्कृतिक जागरूकता के प्रहरी बने। उस समय ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसी बहुत सी संस्थाएँ बनी जिन्होंने इन कुरीतियों के खिलाफ जेहाद छेड़ा। उन्होंने, समाज में जो बच्चों, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे थे और हरिजनों के छुआछूत की जो समस्या थी उसको समूल नष्ट करने का प्रयास किया। इस दिशा में श्री ईश्वरचन्द विद्यासागर अग्रणी थे। उस समय उनका काफी विरोध भी किया गया, धर्मावलम्बियों की ओर से, लेकिन फिर भी सरकार ने इस संबंध में कुछ कानून बनाए। अब चूंकि इस सम्बन्ध में तीन चार कानून बन चुके हैं अतः इस कानून की कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। और ऐसी परिस्थिति में माननीय मंत्री जी ने जो रिपील (निसर्ग) विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूँ।

16.17 hrs.

[DR. RAJENDRA KUMARI BAJPAI  
in the Chair]

लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि इस विधेयक का जो नाम है उससे

अनेक महिलाओं को उन स्थितियों में री-मैरिज करने के लिए प्रेरणा मिलती थी। अल्पायु में जो बहुत-सी महिलाएँ विधवा हो जाती थीं, उनको इस विधेयक के नाम से पुनर्विवाह करने की प्रेरणा मिलती थी और इस प्रकार से वे अपने को सामाजिक कदाचार से बचाने में समर्थ होती थीं इसलिए किसी प्रकार से अगर इसके नाम को न हटाया जाता तो अच्छा रहता। उत्तराधिकार और सम्पत्ति का अधिकार तो जब एक बार मिल जाता है उसको छीना नहीं जाता।

मैं आपके द्वारा यह भी निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज में आज जो बहुत सी कुरीतियाँ चल रही हैं जैसे लोग समझते हैं—बीर भोग्या वसुंधरा—जो बहादुर है, जिनके हाथ में राज है, जो राजगद्दी पर बैठते हैं वे अनेक रीति-रिवाजों का आडम्बर लेकर कई-कई शादियाँ करते हैं। इस प्रथा को भी समाप्त होना चाहिए। हाईकोर्ट लखनऊ की एक बहुत तेज महिला श्रीमती फातिमा आन्दोलन चला रही थीं। उन्होंने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ बहुत जुल्म हो रहा है। लोग तलाक देकर चार-चार, पांच-पांच शादियाँ करते हैं। तो इसको भी रोका जाना चाहिए। उन्होंने हाई कोर्ट में आग्रह किया कि महिलाओं की भलाई के लिए इस सम्बन्ध में कदम उठाए जाने चाहिए। इस देश में सभी को सम्मानपूर्ण जीवन बीताने का अवसर मिल सके, इसके लिए यह बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ हमारे देश की जनसंख्या में जो भयंकर वृद्धि होती जा रही है, उसको रोकने के लिए भी ऐसा करना आवश्यक है। साथ ही साथ सारे देश में एक यूनिफार्मिटी लाना भी आवश्यक है। इस सिद्धान्त के प्रति सरकार को कटिबद्ध होना चाहिए और इस दिशा में कठोर कदम उठाना चाहिए। कठोर कदम उठाकर इसको और भी कारगर रूप से बनाना चाहिए, क्योंकि आज के समय के अनुसार इसकी आवश्यकता है।

SHRI G.L. DOGRA (Jammu): I do not know how much time we can take.

MR. CHAIRMAN: One hour has been allotted to this Bill. You can express your opinion on this. Shri Arakal.



SHRI XAVIER ARAKAL (Ernakulam) : Madam, this is a shortest piece of legislation which this Parliament is enacting. If you refer to the Statement of Objects and Reasons, it has been stated as follows. I quote :

“...making fundamental and radical changes in the Personal Laws of Hindus...”

Sir, it is quite natural to us that while repealing this Act through this Bill, have we eradicated the stigma of widowhood in our society ? If you refer to para 2 of the Statement of Objects and Reasons, it says :

“By conferring property right, this Act of 1856 has become obsolete.”

On the contrary, Madam, Chairman, this stigma, this, taboo, of widowhood is prevalent very much in our society irrespective of the caste and community. Primarily the question is as to what we are doing in the matter. Naturally, we have to refer to four enactments which are mentioned in the Statement of Objects and Reasons. Though the Law Commission has recommended various amendments, in this matter, we are lagging behind the time and the changing society. If you recall, Madam, Chairman, this movement was started in 1856—in the 19th century—and there was a strong resistance then. The highly educated people started this movement for the reformation of the society. It was resisted. Even now the resistance has come out in different form. Day before yesterday a paper wrote about the Hindu Rashtra or Hindu rites. I may say that Hindu Society has adapted very well to the changing situations. Now people like me believe that there is revival of the fundamentalists or orthodoxists' disastrous attempts on a political level to fan out the communal forces. That is precisely why I put this question. By comparing the property right, have we removed the taboo, the stigma, of the widowhood ?

Madam, Chairman, this is an occasion if I may say so that though this is a shortest piece of legislation, yet this is an occasion for us to examine as to where we are heading to ?

I am sure that Hindu society is so adaptive and flexible—in many respects it is very

rigid also—and if the attempt to have a Hindu rashtra of Hindu raj is there, I am afraid, we will be going backward. The four enactments which have been mentioned here require modernisation. Is the government prepared to bring forward a law to make up to date these four enactments.

Above all Madam, Chairman, you will agree that the Adoption Bill is pending before the House. May I ask the hon. Minister to bring forward that Bill ? Many hon. Members mentioned about the need to have uniform personal law. I agree with that to a certain extent. We should endeavour like communities to have a uniform civil code and other enactments preserving the identity, vitality of each religion and community.

With these words I support the Bill.

DR. V. KULANDAIVELU (Chidambaram) : Sir, on behalf of my rationalist party, DMK, I would like to participate in the discussion on the Hindu Widows' Re-marriage (Repeal) Bill and express my views. At the outset, I may say that it is time to repeal the Bill as we are in the era of rationalism, secularism and radical approach to reforms. At this juncture, I am compelled to express my apprehension that even though we are marching towards the economic, industrial and scientific development we are wedded with bondages of tradition, superstition and dogmatic ideology. If we are going to have this approach, the Bill pertaining to the Hindu Widows Re-marriage (Repeal) Bill is not going to serve any purpose.

My predecessor has rightly pointed out that it is only paper work without any thought for social change. Unless we tackle the entire issue with principles of rationalism with reformative approach we cannot ensure that the provisions of the Bill will help the women section of the society.

With this preamble I would like to say how our leaders especially Thanthai Periyar, EVR and his followers ever since our Justice Party even in 1920s were struggling for the rights of the women section. They had advocated re-marriage of the widows and

destitutes. EVR dedicated his whole life for the eradication of casteism and superstition on line with the rationalistic and scientific approach. Even 60 years back he was advocating widow re-marriage and also speculated on the population out-burst. He had already anticipated even 60 years ago that there will be a big population explosion in the country and he advocated Family Planning. He made a fervent appeal to the society that women should be given full equality and freedom.

There is another aspect of this approach. He was also advocating abolition of Child Marriages. He was also preaching these things, which Ishwar Chandra Vidyasagar and Raja Ram Mohan Roy were advocating in those days. Our Periyar has rendered this novel service to the women section of our society.

There are certain salient aspects which we have to consider in respect of radical changes to be brought about in the minds and thinking of the people. Our people are religious oriented ; they are highly religious fanatics. Our women especially fall a prey to these goondas. The so-called priests, the so-called Gurus, Swamis and Babas are exploiting our women ; they are inducting these innocent women into the brothels. I can tell you about one story. This has come in the publication *Yojana* published by the Government of India. This is from *Yojana*, August 15, special number. It says :

‘On the afternoon of April 11, the District Magistrate of Gopalganj, Mahesh Prasad Narayan Sharma, was stepping down the stairs of his collectorate office when some stuff was thrown at him. Moments later, blood-strewn, he was lying at the bottom of the stairs, dead...’

MR. CHAIRMAN : You need not go into it.

DR. V. KULANDAIVELU : This is an important point. I am saying how our innocent girls are being spoiled by these so-called priests, gurus and swamis and Babas. The *Yojana* further says :

‘His portion for nirvana was clear. He promised his *bhaktas* a darshan

of God if they were ready to surrender to him body, mind and wealth.’

MR. CHAIRMAN : No, kindly don't read out the whole thing, I am not allowing you.

DR. V. KULANDAIVELU : I am only suggesting this to the Members of the House and the Chair they may kindly go through this issue of *Yojana*, dated August 15. This is giving rationalistic articles. While discussing the provisions of the Widow Remarriage Bill I have to say that we are very narrow minded. This provision is confined to Hindu Widows alone. Why cannot you include other sections, Muslims, Christians, Sikhs and Buddhists ? We are in an advanced stage of development ; we are well informed ; we must always have a rationalistic outlook. So, this Bill must cover all the other sections of women of other religions also because we are a secular State. It must cover the whole of the Indian women. I would plead with hon. Members and with the Chair about this point. Unfortunately some young girls become widows in the early part of their lives and they are dragged into prostitution.

It is my wish that the House should take steps to avoid such miseries to our women-folk as well as so-called ‘gurus’ taking away the young girls and young widows. We must provide for them job opportunities. We must establish job-oriented institutions for widows so that they can be admitted in these institutions and earn their livelihood. We can also arrange for their re-marriage. I would request the hon. Minister to consider this and see that the law covers a wider range of scope for the rehabilitation of women section as a whole. With these words, I conclude :

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : सभापति जी, जो बिल इस समय सदन के सम्मुख है, वह माननीय मंत्री जी ला कमीशन की सिफारिश पर एक पुराने एक्ट को रिपील करने के लिए यहां पर लाए हैं। मैं मंत्री जी से और उनके माध्यम से उनके मंत्रालय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ला कमीशन ने ऐसे कई कानूनों को पुराना बताया है जिनकी कि उपयोगिता नहीं रह गई और उनको

रिपील करने की सिफारिश की है। वे कानून चाहे केन्द्र की धारा सभा के द्वारा पास हुए हों, उन्हें भी, जिस प्रकार से इस 1856 के एक्ट को रिपील करने का आप बिल लाये हैं, उसी प्रकार से उनके सम्बन्ध में भी आप तत्परता बरतें।

हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज रहा है। लेकिन इन रूढ़ियों के विरुद्ध हमारे यहां लोग संघर्ष भी करते रहे हैं। आज जो हमारे कम्युनिस्ट वक्ता बोले उन्होंने समाज में चेतना लाने के बारे में कहा कि वह नहीं लाई जा रही है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे यहां ऐसे महा-पुरुष हुए हैं जैसे कि विद्यासागर जी, राजा राममोहन राय जी, दयानन्द सरस्वती जी, महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन महापुरुषों ने हमेशा ही कुरीतियों के विरुद्ध आवाज उठाई है और अपने समाज को स्वस्थ समाज के रूप में विकसित करने के लिए नये नये उपाय सुझाये हैं। ये उन्हीं के सुझावों का परिणाम है कि ये 1856 या 1955 और 1956 के विधेयक हमारे सामने आये हैं। आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की कमियों और कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। माननीय इन्दिरा जी के नेतृत्व में इस सदन में डाबरी के खिलाफ विधेयक आने वाला है। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उनके लिए विधेयक आना वाला है।

यही नहीं, हमारी पार्टी समाज में परिवर्तन के लिए और कुरीतियों को मिटाने के लिए आन्दोलन करती रहती है। हम समाज को जागरूक करने का काम भी कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, जगहों जगहों पर अपनी सभाओं में इस प्रकार की बातें कहती हैं कि महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उन्हें बन्द किया जाना चाहिए। हमारी पार्टी की महिला सदस्याएं महिलाओं में जाकर जागृति का काम करती हैं। हम सभी राजनीतिक दलों की इस प्रकार की जिम्मेदारी है कि हम समाज में इस प्रकार के दोषों पर प्रहार करें और एक स्वस्थ समाज को विकसित करने के लिए काम करें।

माननीया, हमारे संविधान के चेप्टर चार में यह बात कही गई है कि समाज के सभी वर्गों के लिए एक प्रकार का कानून होना चाहिए। मेरे कुछ मित्रों ने इस बात को रखा भी है और मैं उनका समर्थन करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाज के जो अक्सीरियत के भाई हैं अक्लीयत या माइनोरिटीज के जो भाई हैं, समाज के सभी वर्गों के लोग यह आवाज उठाये कि समाज में सभी के लिए एक यूनीफार्म कोड बनना चाहिए ताकि जो विभिन्न प्रकार की बुराईयां हैं उन्हें दूर किया जा सके।

मैं पुनः माननीय विधि मंत्री जी को बधाई देता हुआ उनसे यह निवेदन करता हूं कि जिस प्रकार से वे इस विधेयक को लाए हैं, ला कमीशन की जहां जहां भी कानूनों को रिपील करने की सिफारिश है और उनको रिपील करने की आवश्यकता है, उनके लिए भी वे विधेयक लायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

**श्री रामावतार शास्त्री (पटना):** एक शब्द का यह विधेयक है। इसका विरोध करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। यों कानून हमारे देश में बहुत बने हुए हैं। चार कानून बनने के बाद आप इस कानून को समाप्त कर रहे हैं। बहुत वर्षों से, सैकड़ों सालों से हम सामाजिक सुधार लाने का आन्दोलन चला रहे हैं। आगे भी हम बढ़ें हैं। लेकिन हमारी जो आकांक्षा और आशा थी वह अभी तक पूरी नहीं हुई है। समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वह सर्वविदित है। मैं यह सवाल उठाना चाहता हूं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह की स्थिति आज क्या है? हमारे नौजवान और युवतियां क्या इस ओर बढ़ रहे हैं? यह जो सामन्ती बन्धन है यह आज भी हमारे समाज पर आयद है। इसको तोड़ा जाना चाहिए। मंत्री जी नौजवान हैं, नौजवानों के नेता भी रहे हैं। आप जानते हैं कि विधवा होने पर जो पिछड़ी जातियां हैं, या हरिजन लोग हैं, या आदिवासी हैं उनके यहां ज्यादा स्वतंत्रता है, विधवाएं दुबारा विवाह कर लेती हैं लेकिन मैं अपने सूत्रे की बात जानता हूं और कमो-वेश यही स्थिति सब जगह होगी कि जो तथा-



कथित उच्च जातियां हैं वहां विधवाओं को दुबारा विवाह करने नहीं दिया जाता है और अगर कोई युवती विवाह कर लेती है या विवाह करना चाहती है तो ये लोग तरह तरह से उसको यातनाएं देते हैं और सरकार कोई सहायता नहीं पहुंचाती है। सरकार इसकी गारंटी दे, समाज को इसके लिए तैयार करे कि उच्च जातियों, हरिजनों, गिरिजनों आदि सब में विधवाओं को विवाह करने की आजादी है। लेकिन यह आजादी तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि उनको आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा नहीं किया जाएगा। अभी तो वे बेचारी गुलाम हैं अपने घरों में। यह आवश्यक है कि उनको आर्थिक रूप से सम्पन्न बनाया जाय, उनको अपने पांव पर खड़ा किया जाए। कहने के लिए तो उनका मां बाप की सम्पत्ति में अधिकार है लेकिन किस को यह अधिकार मिला है? क्या आप यह अधिकार उसको दिलवाते हैं? क्या आपका कानून उनकी मदद करता है? नहीं करता। उनको आर्थिक रूप से अपने पांव पर खड़ा कीजिये, तब विधवाओं को यह अधिकार मिल पाएगा। आज तो घर में वे बेचारी घुटती रहती हैं, दबी रहती हैं, पिंसी रहती हैं उनके विकास के रास्ते बन्द हो जाते हैं। मैंने अपने मित्रों के यहां देखा है, कोई विधवा हो गई 18 बरस में तो पूरी जिन्दगी भर वह विधवा रह गई। क्या अपने जीवन में वह खुशियां न देखें, आगे बढ़ने का उसको कोई अधिकार नहीं, स्वप्न नहीं। यह सब तभी सम्भव हो सकता है जब समाज में परिवर्तन आप करें, इस सामन्ती व्यवस्था में सुधार करें, पूंजीवादी व्यवस्था में सुधार लाएं। तभी उनको पूरे अधिकार आप दे सकेंगे। सम्पत्ति में उनको जो अधिकार मिला है वह अमल में नहीं आया है। इसके उपाय आप करें। इस तरह के जो कानून बने हुए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा प्रचार होना चाहिए। किताबों की शोभा ये कानून न बढ़ाते रहें। ऐसे उपाय आप करें ताकि कानून क्रियान्वित हो सकें ताकि ज्यादा से ज्यादा लाभ महिला समाज को मिल सके।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी आर्टिकल 15 कहता है :

“The State shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them.

No citizen shall, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them, be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to—”

Then Article 44 says :

“The State shall endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India.”

हम सब एक बात का निर्णय कर लें कि स्त्री जाति का संबंध धर्म से नहीं है। स्त्री जाति के अधिकार वही होने चाहियें जो एक दूसरी स्त्री जाति को होने चाहिये। जिन वर्गों में समाज बंटा हुआ है उसका ध्यान रखते हुए आपको सिविल कोड लाना चाहिए था। मैं पूछना चाहता हूं कि सिविल के अन्दर आपने रिपोर्ट पेश की, 1956 में कानून पास हो गया, आपने कितने साल के बाद यह कानून पास किया? क्यों जरूरत पैदा हुई 20 साल के बाद?

हिन्दू ला के लिए कितने ही कानून बन चुके हैं, लेकिन आप बतायें कि कितने ऐसे कानून देश में हैं जो ओक्सलीट हैं और कभी लागू नहीं हुए, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यह कानून जो लेकर आये हैं यह ओक्सलीट हो चुका है। क्यों हुआ है? क्योंकि 20 साल हो चुके हैं। तो ला डिपार्टमेंट जिस कानून को ला रहा है इसकी कोई खास बात नहीं थी। सवाल यह था कि ऐसा कानून लाना चाहिए था जो सारी स्त्री जाति पर लागू होता। आन्ध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया उस पर कानून लाते तो अच्छा रहता और उसको सभी पसन्द करते। आपको हिन्दू सिविल कोड न बना कर एक कामन कोड बनाना चाहिए, आज के युग की यही मांग है।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : सभापति महोदय, मैं इस अवसर पर उन महान

व्यक्तियों के प्रति जो बड़े समाज सुधारक हुए और स्त्रियों की दुर्दशा को देख कर सुधार लाने के लिये जिन्होंने महान यत्न किया, उन्हें मैं स्मरण करना चाहता हूँ। जैसे ईश्वर चन्द विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, बंकिम चन्द्र चैटर्जी, शरत चन्द्र चैटर्जी, स्वामी दयानन्द, स्वामी श्रद्धानन्द, ऐसे महान व्यक्ति जिन्होंने हिन्दू समाज के लिये, विशेष रूप से स्त्री जाति की दीन-दशा को सुधारने के लिये सक्रिय उपाय किये और आन्दोलन किया, उनका पुण्य स्मरण मैं करना चाहता हूँ।

मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ कि यह निरसन विधेयक ला कर उन्होंने इन महान् व्यक्तियों को फिर से श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका दिया है।

आज उन परिस्थितियों का अन्दाजा नहीं लगाया जा सकता, जो 1856 में थी। हिन्दुओं में विधवा विवाह पाप समझा जाता था। कोई विधवा स्त्री किसी के साथ रखैल बन कर तो रह सकती थी, लेकिन किसी से विवाह नहीं कर सकती थी। पूरे हिन्दू समाज में विधवा स्त्रियों की बहुत दयनीय दशा थी। उस समय सती-प्रथा प्रचलित थी। कन्या के पैदा होने पर घर के लोग रोना शुरू कर देते थे। जन्म होते ही लड़कियों को मार डाला जाता था। देवदासी प्रथा थी। अल्पायु में विवाह कर देने की प्रथा थी। ये सब कुरीतियाँ उस समय प्रचलित थीं। उस समय जैसे वन्दे मातरम् कहने मात्र से अंग्रेज गिरफ्तार कर लेता था, वैसे ही विधवा विवाह एक ऐसी ज्वलन्त समस्या थी, जिसकी ओर ध्यान जाना आवश्यक था। उस परिप्रेक्ष्य में हिन्दू विधवा विवाह अधिनियम पास किया गया।

आज क्या हालत है? हम कितने दिनों से कह रहे हैं कि दहेज-विरोधी कानून लाया जाए।

सभापति महोदय : उस पर कल बोलिएगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार : लेकिन सरकार

उसको नहीं ला रही है। इसी तरह वह रैप और महिलाओं पर अत्याचार रोकने के बारे में कानून नहीं ला रही है।

विधवा को आज अधिक खतरा नहीं है, सुहागिन को ज्यादा खतरा है। सुहागिन भी कैसी? \*\* एक एम० एल०.....

सभापति महोदय : मैं आपको बिल्कुल अलाऊ नहीं करती, वह यहां नहीं हैं।

श्री हरीश कुमार गंगवार : यू. पी. के एक एम० एल० ए० ने दूसरे एम० एल० ए० से शादी कर ली, सरकारी पार्टी की.....

सभापति महोदय : उसका इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : इस बिल से सम्बन्ध क्यों नहीं है? मैं स्त्रियों की दुर्दशा का एक उदाहरण दे रहा हूँ।

सभापति महोदय : वह इस बिल से कोई सम्बन्ध नहीं रखता है।

श्री हरीश कुमार गंगवार : एम० एल० ए० ने एम० एल० ए० से शादी कर ली एक बीवी के रहते हुए। राजस्थान के एक मंत्री ने तेरह, चौदह साल की लड़कियों की शादी कर दी। कानून सब के लिए एक होना चाहिए।

सभापति महोदय : जो बिल से सम्बन्धित बातें हैं, आप केवल उन्हीं पर बोलिए।

श्री हरीश कुमार गंगवार : श्री शैलानी जो बोल रहे थे, क्या वह बिल से सम्बन्धित था।

सभापति महोदय : उन्हें भी यही कहा गया था।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आज स्थिति यह है

कि पति के जीवित रहते हुए स्त्री का जायदाद में हिस्सा नहीं है और विधवा होने पर अगर उसका लड़का या लड़की मौजूद है, तो भी उसका हिस्सा नहीं है।

**सभापति महोदय :** है। आपको मालूम नहीं है।

**श्री हरीश कुमार गंगवार :** इस ओर ध्यान देकर हमको उनकी दशा को सुधारने के लिए कार्य करना चाहिए और इस सम्बन्ध में जो भी विधेयक आवश्यक हों, उन्हें जल्दी लाना चाहिए।

16.54 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

**श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) :** डिप्टी स्पीकर साहब, ला मिनिस्टर ने जो बिल पेश किया है, उसमें बताया गया है :—

“...the Law Commission in its 81st Report has recommended that the Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856, having become obsolete, should be repealed so as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts.”

इस रीकमेंडेशन पर काफी गौरो-सौज हुआ होगा। ला कमीशन ने सिफारिश की थी कि 1856 में जो हिन्दू विडो रीमैरिज ऐक्ट बना था, वह आव्सोलीट है और उसको रिपील किया जाए।

मैं समझता हूँ यह एक सही बात की गई है लेकिन एक बात मैं और मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूंगा। इसमें कहा गया है :

“So as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts.”

चूँकि यहां पर और भी कुछ कवानीम बने हैं जैसे हिन्दू रीमैरिज ऐक्ट, 1955, हिन्दू सक्सेशन ऐक्ट, 1956, हिन्दू माइनारिटी ऐंड गार्जियनशिप ऐक्ट, 1956 और हिन्दू एडाप्सन्स ऐंड मेंटिनेन्स ऐक्ट, 1956 लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि जो बेसिक ऐक्ट 1856 में बना था उसके प्राविजन्स यहां पर मौजूद नहीं हैं, अगर वह आव्सोलीट हो जाते हैं तो, अगर वह प्राविजन्स इन ऐक्ट्स में मौजूद हैं तो उनको भी, आव्सोलीट होना चाहिए।

दूसरी बात कुछ मेम्बरान की तरफ से यह कही गई है कि कामन सिविल कोड होना चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क में डिफरेंट सेक्शंस आफ सोसायटी हैं, बहुत सी माइनारिटीज हैं और क्रांस्टीट्यूशन का यह प्रिंसिपल में है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। अगर कोई ऐसा रास्ता निकलता है तो उसमें कोई एतराज नहीं है लेकिन मेरी आपसे दरखास्त है कि माइनारिटीज को कांफिडेंस में लेकर ही ऐसा इन्तजाम किया जाना चाहिए। अगर एकतरफा कार्रवाई होगी तो वह पब्लिक में चल नहीं सकेगी। मैं डागा साहब से कहना चाहूंगा कि ऐसा कोड लाने से पहले इस मुल्क में जो माइनारिटीज हैं, जो रेलिजस ग्रुप्स हैं, वह चाहे मुस्लिम हों, क्रिश्चियन हों या फिर हिन्दुओं और मुसलमानों में भी जो बहुत से डिफरेंट सेक्टर्स हैं, उनको कांफिडेंस में लेकर ऐसा कानून बन सकता है।

तीसरी बात यह है कि इस मुल्क में कुछ और प्राब्लम्स हैं जिनको हल करना ला-मेकर्स और इस पार्लमेन्ट का काम है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue next time.

شری عبدالرشید کاہلی (سری نگر) ڈپٹی اسپیکر  
صاحب - لا منسٹر نے جواب دیا

میں نے اس میں بتایا گیا ہے۔



"...the Law Commission in its 81st Report has recommended that the Hindu Widows' Re-marriage Act, 1856, having become obsolete, should be repealed so as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts."

اس ریکمینڈیشن پر کافی غور و خوض ہوا ہو گا۔ لا منسٹر لکیشن نے سفارش کی تھی کہ ۱۸۵۶ء میں جو ہندو ویدوگری میریج ایکٹ بنا تھا وہ آ بسولیٹ ہے اور اسکو رپیل کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک صحیح بات کی گئی ہے لیکن ایک بات میں اور منسٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ اس میں کہا گیا ہے۔

"So as to foreclose any possible arguments based on the construction of the provisions of this Act and the later Acts."

چونکہ یہاں پر اور بھی قوانین بنے ہیں جسے ہندو ویدوگری ایکٹ ۱۹۵۵ء ہندو سسٹیشن ایکٹ ۱۹۵۷ء ہندو مائنوریٹی اینڈ کارجن شپ ایکٹ ۱۹۵۶ء اور ہندو ایڈوکیٹیشن اینڈ مینیجمنٹ سسٹم ایکٹ ۱۹۵۷ء لیکن میں جانتا چاہتا ہوں کہ جو بیک ایکٹ ۱۸۵۶ء میں بنا تھا اس کے پردوزیس یہاں پر موجود نہیں ہیں اگر وہ آ بسولیٹ ہونا چاہتے ہیں تو اگر وہ پردیزس ان ایکٹس میں موجود ہیں تو ان کو بھی آ بسولیٹ ہونا چاہئے۔

دوسری بات کچھ ممبران کی طرف سے یہ بھی کہی گئی ہے کہ کاسن سول کوڈ ہونا چاہئے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ڈیفینٹ سسٹمز آف سوسائٹیز ہیں۔ بہت سی مائنورٹیز ہیں اور کانسٹیٹیوٹن کا یہ پرنسپل ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جانا چاہئے۔ اگر کوئی ایسا راستہ نکلتا ہے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ مائنورٹیز کو کانفیڈنس میں لے کر ہی ایسا انتظام کیا جانا چاہئے۔ اگر ایک طرف کارروائی ہوگی تو وہ پبلک میں چل نہیں سکے گی۔ میں ڈاگا صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ ایسا کوڈ لانے سے پہلے اس ملک میں جو مائنورٹیز ہیں جو ریلیجیوس گروپس ہیں وہ چاہے مسلم ہوں کریمچین ہوں یا بچھر ہندوؤں اور مسلمانوں میں بھی جو بہت سے ڈیفینٹ سسٹمز ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کر ایسا قانون بن سکتا ہے۔

تیسری بات یہ ہے کہ اس ملک میں کچھ اور پریلیمینٹ میں جن کو حل کرنا لامیکرس اور اس پارلیمنٹ کا کام ہے۔

MR. DEPUTY-SPEAKER : You can continue next time.

16.59 hrs.

## STATEMENT ON PUNJAB

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI P.C. SETHI) : Sir, the Hon'ble Members are aware, Government have repeatedly appealed to the leadership of Shiromani Akali Dal to unequivocally condemn violent activities and not to say or do anything which may aggravate the situation. It is a matter of concern that there have still been provocative and threatening speeches by a few important agitation leaders. The Government have been deeply distressed over incidents of attacks on innocent people in Punjab. As the endeavour of the Government has been to resolve issues through negotiations, the Shiromani Akali Dal leadership should not permit such elements who make rabid and provocative statements and even indulge in violent activities to join them. It is sad to note that many of these statements also tend to vitiate the climate for communal amity. It is all the more unfortunate that some leaders are misusing the premises associated with holy shrines which are regarded as a symbol of love and brotherhood. The Government have exercised restraint and have refrained from taking action which may precipitate the situation. However, the Government of Punjab has been alerted and the Government is seized of the matter.

17 hrs

The Government of Punjab have been making efforts to apprehend the culprits. The police and intelligence set up in the State has been geared up. The State Government has been advised to review and strengthen police arrangements. Every citizen in the country is entitled to protection and our efforts are geared in this very direction.

I am sure, Hon'ble Members will join me in appealing to the Shiromani Akali Dal to prevail upon their associates that they desist from doing anything which is not conducive to peace and harmony in the State.